राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– एफ.4(ई)द्वितीय एसीपी / 1994 / अलेसे–III / 12-640-46 दिनांक :– 28.01.2016

आदेश संख्या 185 / 2015–16

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7) वित्त(नियम / 2008 / दिनांक 12.09.2008 एवं आदेश संख्या एफ.11(7) वित्त (नियम) पार्ट–I / 2008 दिनांक 06.10.2008 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 18 वर्ष या उससे अधिक अवधि की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर वित्त विभाग के ज्ञापन सं. एफ.14(88)एफडी / रूल्स / 2008–I दिनांक 06.10.2015 के द्वारा दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात तीसरी संतान पैदा होने पर एसीपी की देयता के प्रावधानानुसार वित्त विभाग के उक्त ज्ञापन के प्रभावी होने की तिथी अर्थात् 06.10.2015 से कनिष्ठ लेखाकार पद की द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी) पे–बेण्ड 2 (9300–34800) में ग्रेड पे 4800 / – स्वीकृत की जाती है:–

क्र.सं.	नाम कनिष्ठ लेखाकार	मेरिट एवं बैच नम्बर	लिंक नं.	कनिष्ठ लेखाकार पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय एसीपी देय तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री सुधीर कुमार	705 / 88	5818	11.02.1991	06.10.2015
2.	श्री गुलाब चन्द जाट	223 / 88	2451	16.04.1990	06.10.2015

उपरोक्त कनिष्ठ लेखाकारों को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.14(88)वित्त / नियम / 2008 दिनांक 31.12.2009 में दी गई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण–पत्र तथा संतान संबंधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

उपरोक्त दोनों कनिष्ठ लेखाकारों के गत सात वर्षों में से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने के कारण नियमानुसार गत 9 वर्ष में से 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित होने पर प्रकरण पुनः खोला जायेगा तथा नियमानुसार आवश्यक संशोधन किया जावेगा।

उपरोक्त कनिष्ठ लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावें कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतन मान 2008 के अन्तर्गत ग्रेड पे 4200 / – में वेतन प्राप्त कर रहा है तथा पूर्व में इन्हें द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत नहीं की गई है तथा ए.सी.पी. देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक इन्हें परिनिन्दा के एक दण्डादेश के अतिरिक्त कोई अन्य दण्ड नहीं दिया गया है तथा इनके विरूद्ध फोजदारी / विभागीय जांच लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है एवं गत 7 वर्षों में नियमित रूप से वेतन वृद्धियां मिल रही हैं। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवापुस्तिका में की जावें।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक :– एफ.4(ई)द्वितीय एसीपी / 1994 / अलेसे–III / 12640-46 दिनांक :– 28-01-2016
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष ....
2. श्री ....कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय ....
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I) / एपीएआर शाखा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त दोनो कनिष्ठ लेखाकारों के भविष्य में वांछित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यदि उनमें कोई प्रतिकूल प्रविष्टि पाई जाती है, तो उनके प्रकरण पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी पत्रावली / गार्ड फाईल।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक–III)